

कार्यालय बेतिया राज, बेतिया।

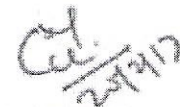
(कोर्ट ऑफ वाईस के अन्तर्गत)

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में बेतिया राज, बेतिया के वादों की पैरवी के लिए अधिवक्ता के पैनल गठन हेतु सूचना।

बेतिया राज, बेतिया (कोर्ट ऑफ वाईस के अन्तर्गत) से संबंधित कई महत्वपूर्ण वाद (CWJC/MJC) माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित हैं। इन वादों की पैरवी एवं नये वादों में तथ्य विवरणी तैयार करने आदि कार्य हेतु सुयोग्य अधिवक्ता की आवश्यकता है। अतः स्थायी पैनल हेतु इच्छुक अधिवक्ता दिनांक 28.02.2017 के 5:00 बजे अप0 तक बेतिया राज, बेतिया के कार्यालय में अपना आवेदन दे सकते हैं।

शर्त:-

- आवेदन पत्र (Bio-date) सहित निर्धारित प्रपत्र में देना आवश्यक होगा। बायो डाटा का प्रपत्र <http://Boardofrevenuebihar.bih.nic.in> पर देखा जा सकता है।
- आवेदन के साथ अधिवक्ता निबंधन के प्रमाण की अभिप्रमाणित छायाप्रति देना आवश्यक होगा।
- आवेदन के साथ पूर्व में किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय/विभाग/निगम/प्रतिष्ठान आदि में कार्य करने का अनुभव/प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
- आवेदन के साथ इस आशय का भी प्रमाण पत्र देना होगा कि पूर्व में किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय/निगम/प्रतिष्ठान आदि में किए गए कार्य के संबंध में कोई प्रतिकूल कार्रवाई की स्थिति नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र भी देना होगा कि Bar Council से कोई प्रतिकूल आदेश अथवा कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।
- सभी शर्तों के अधीन विधिवत रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों पर विचार कर पैनल गठन की कार्रवाई की जाएगी।
- <http://Boardofrevenuebihar.bih.nic.in> पर विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


व्यवस्थापक

बेतिया राज, बेतिया।

बायोडाटा

1. अधिवक्ता का नाम:-

2. जन्म तिथि (प्रवेशिका प्रमाण-पत्र के अनुसार):-

3. शैक्षणिक योग्यता:-

4. अधिवक्ता का पंजीयन सं०:-
(अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ)

5. वर्तमान न्यायालय का नाम,
जहाँ अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं:-

6. पूर्व में किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय/विभाग/निगम/प्रतिष्ठान आदि में कार्य करने का अनुभव/प्रमाण पत्र की विवरणी:-

7. प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व में किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय/निगम/प्रतिष्ठान आदि में किए गए कार्य के संबंध में कोई प्रतिकूल कार्रवाई की स्थिति नहीं है।

8. प्रमाणित किया जाता है कि Bar Council से कोई प्रतिकूल आदेश अथवा कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।

9. प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाएँ सही हैं। पैनल गठन के संबंध में राजस्व पर्षद का निर्णय मुझे पूर्णतः मान्य होगा।

फोटो

आवेदक का हस्ताक्षर

तिथि:-